"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2011 (चैत्र 7, 1933)

क्रमांक-4624/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2011), जो दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए :—

"(ञ) **"वार्षिक प्रतिवेदन"** से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा 9 में यथा निर्दिष्ट संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु का समेकित प्रतिवेदन."

धारा 8 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"8-क (1) उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) की अनुसूची में निर्दिष्ट निम्नलिखित स्थानीय निकायों—

1. समस्त नगर पालिक निगमों,
2. समस्त नगर पालिका परिषदों,
3. समस्त नगर पंचायतों,
4. समस्त जिला पंचायतों,
5. समस्त जनपद पंचायतों,
6. समस्त ग्राम पंचायतों,

के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) राज्य सरकार (वित्त विभाग) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा तथा जवाबदेहिता निर्धारित करने हेतु, स्थानीय निकायों के अंकेक्षण संबंधी की गई कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 17 मार्च, 2011

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 2 एवं 8 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

1. धारा 2- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषायें**

(क) "संपरीक्षा" के अंतर्गत आते हैं विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (Resident Audit) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जिसे कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें ;

(ख) "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है, संचालक तथा उसके अंतर्गत वे समस्त अन्य अधिकारी आते हैं जो धारा 3 के अधीन इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये हों कि वे उसकी सहायता करेंगे;

(ग) "विस्तृत संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, संपूर्ण वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा उसके अंतर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन संचालक की शक्तियां प्रदत्त की गई हों;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई नगरपालिका निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, नगर सुधार न्यास, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज-मंडी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी जो किसी नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध का वैध रूप से हकदार हो, या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबंध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो;

(च) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निधि जिसके नियंत्रण तथा प्रबंध के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो और उसके अंतर्गत किसी ऐसे उपकर रेट, शुल्क या कर जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो, के आगम तथा ऐसे प्राधिकारी में निहित कोई संपत्ति आती है/आते हैं;

(छ) "प्रधान अधिकारी" से अभिप्रेत है :—
(एक) नगरपालिक निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त;
(दो) नगरपालिका परिषद् के मामले में, अध्यक्ष;
(तीन) नगर सुधार न्यास के मामले में, सभापति;
(तीन-क) नगर पंचायत के मामले में, अध्यक्ष;

(चार) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच;
(पांच) जनपद पंचायत के मामले में, अध्यक्ष;
(छः) जिला पंचायत के मामले में, अध्यक्ष;
(सात) कृषि उपज मंडी समिति के मामले में,अध्यक्ष; और
(आठ) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे.

(ज) "विशेष संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों के क्रमिक समूह से संबंधित ऐसे लेखाओं की जिनकी कि पूर्ण परीक्षा की जाना अपेक्षित है, संपरीक्षा;

(झ) "स्थानिक संपरीक्षा" से अभिप्रेत हैं, व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन.

* * * * * * * * * * * * * *

संपरीक्षा रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायेगी.

2. धारा 8- संपरीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किन्तु उसके बाद तीन माह से अधिक पश्चात् नहीं, संचालक उन लेखाओं के संबंध में, जिनकी कि संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां ऐसे अधिकारियों तथा निकायों को भेजेगा जिनके कि संबंध में राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.